

देख,

श्री साहब सिंह निरंजन,
विशेष अध्यापिका,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा संघ-2 मजदारा रोड,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा 171 अनुदान

दिनांक 29 नवम्बर, 1999

विषय:- उत्तरी प्रदेश पब्लिक स्कूल, नन्द ग्राम गांधिबाबाद की तीसरी अवस्था नई दिल्ली से सम्बन्धित हेतु अनुदानित प्रमाण-पत्र दिने जाने के संबंध में।

संदर्भ,

उपरोक्त विषय पर मुझे बड़ बड़ होने का निदेश प्राप्त है कि उत्तरी प्रदेश पब्लिक स्कूल, गांधिबाबाद की तीसरी अवस्था नई दिल्ली से सम्बन्धित हेतु अनुदानित प्रमाण-पत्र दिने जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्राप्ति नहीं है:-

- 111 विद्यालय की परीक्षित शोताशुद्धी का समय समय पर मनीनीकरण कराया जायेगा।
- 121 विद्यालय की प्रमुख समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जातियों के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उन्हें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संघानित विद्यालयों में विभिन्न छात्रों के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अथवा केन्द्रीय शिक्षा परिषद से मांगता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धिता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कीर्तिन कार टि इण्डियन स्कूल सर्विसेज इन्वॉन्सिमेन्स नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस शरीया बच से उस केन्द्रीय परिषदों की सम्बन्धिता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा पुनः मांगता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान रकम: समाप्त हो जायेगी।
- 151 संस्था की एक वर्ष शिक्षणीय अवधारितों को राज्यीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के अवधारितों को अनुसूचित क्षेत्रवासियों तथा अन्य बच्चों से कम वेतनमान तथा अन्य अर्थ नहीं दिये जायेंगे।
- 161 अवधारितों की सेवा गत बनावट जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त असाहाय्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अवधारितों की अनुसूचित तथा निर्धारित का नाम अनुसूचित कराये जायेगा।

MANAGER
S.B.N. Public School
Nand Gram, GZB

17। राज्य सरकार द्वारा तम्र तम्र वर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे तैय्या उनका पालन करनी ।

18। विद्यालय का रिहाई निर्धारित सुबह/पंचिकाओं में रखा जायेगा ।

19। उक्त गतों में राज्य सरकार के सुयोग्योदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- पुतिबन्ध यह भी होना कि तैय्या द्वारा वह सुनिश्चित किया जाय कि:-

11। विद्यालय के शिक्षण सक्ष निर्धारित मात्र के हों ।

12। विद्यालय का कुटीरालय किसी स्वामित्व में हों ।

656

3- उक्त पुतिबन्धों का पालन करना तैय्या के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय वह माना जाता है कि तैय्या द्वारा उक्त पुतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की धूल या गिराधिकता परती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनाधिकत पुमाना वन वापस ले लिया जायेगा ।

भारतीय

। राज्य शिक्ष निरूपन ।
विशेष कार्यपालिका

5338-5338112/15-7-99, गददिनांक

पुतिबन्ध निम्नलिखित से सुधनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सुचित:-

1- शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, ग्वामन ।

2- सखीय संयुक्त शिक्षा निरूपन, ग्वामन ।

3- शिक्षा विभाग निरीक्ष, गांधीबाजार ।

4- निरीक्ष प्रभु भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, ग्वामन ।

5- सुधन प्र, सखीय संयुक्त शिक्षा निरूपन, गांधीबाजार ।

साक्षात् से,

MANAGER
S.B.N. Public School
Nand Gram, GZB

। राज्य शिक्ष निरूपन ।
विशेष कार्यपालिका